तारीख हुक्म	गंगाराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) सू.अ.अपील संख्या 211/2022	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.22	अपीलार्थी गंगाराम निवासी ग्राम देवगढ़, पोस्ट आगोलाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.11.2021 में उसके द्वारा (1) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 हेतु अवाप्ति के समय ग्राम पंचायत आगोलाई के अधीन किन किन खसरों में मुआवजा दिया गया व कुल कितनी मुआवजा राशि दी गई (2) ग्राम पंचायत आगोलाई में निजी व्यक्तियों को मिलने वाली मुआवजा राशि की नाम सहित सूची से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	